

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प में पेश हुई।
उपस्थित पक्षकारान की समझाईश की गई
किन्तु राजीनाम नहीं हो पाया। अतः पत्रावली
दिनांक १५.०७.१८ को पेश हो।

24/7/18

पत्रा० पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं कोर्ट
उप० नहीं। रुक-2 कर आवान दिखाई गई। किसी ने
उप० नहीं होने के कारण फाना वादी का अदम ६/अडी
न अदम पेशी खारिज किया जाता है। पत्रा०
फैसल शुमार होकर दारिखल पत्र हो। नोट से
कम हो।

सहायक कलेक्टर
मुख्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापूर सिटी (संभा०)